

5-18

पत्नील प्ररीनेन उपस्थित। पत्रावली वास्ते  
वहस file दिनांक 30/10/18 को  
प्रेष को

उपखण्ड अधिकारी  
करौली

5-16/18

डी मांग रिक्वा के जपपुर मीठि मे पथा (धोके)  
कारण आज दिनांक 30/11/18 को  
विचाराधीन राजस्व पुनर्मात की  
पुनर्वाई दिनांक 15/11/18 को  
भी जावेगी।

5-11/9

पत्रावली प्रेष हुई। उपपक्ष पत्नील  
उपस्थित वदत प्रार्थना पत्र प्रीच (पुकी)  
गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
सापलाग द्वारा दिनांक 7.05.2005 के एटे  
ऑफिस के उपहेलना के लेक्च के यह प्रार्थना  
पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिलेके समर्थन  
मे कोर्ड प्रमिशन रिपोर्ट दिनांक 7.5.2005  
प्रैचर की प्रस्तुत नही की गई है। नही  
कोर्ड नवीन निर्माण की साभूष पत्रावली मे  
प्रस्तुत की गई है। उक्त विवादित स्थल पर  
मकारनिधायक स्वर्ण ले ही निर्मित होना प्रमिशन  
रिपोर्ट 5/07/2005 से उक्त होता है। प्रस्तुत  
साभूष सापलाग व ऊ-अपलाग से ऊ-अपलाग  
द्वारा से ऑफिस दिनांक 7.5.2005 की उपहेलना  
किया जाना साबित नही है। ऐसी स्थिति  
मे प्रार्थना पत्र सापलाग चलने योग्य नही  
है। अतः प्रार्थना पत्र सापलाग विरुद्ध ऊ-अ  
सापलाग खारिज किया जा रहा है। पत्रावली  
प्रैचल प्रमा (वेकट) नकर से कत होकर  
मूलपक्ष के साथ भेजा है।

Arjun

उपखण्ड अधिकारी  
करौली (राज०)